पेंशन फारम-4

(देखें बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193, 194 एवं 199)

पेंशन, उपदान और मृत्यु-सह-सेवा निवृति-उपदान के लिये आवेदन-पत्र

1- सरकारी सेवक का नाम.....

2- पिता का नाम एवं (महिला सरकारी सेवक की दशा में पति का नाम).....

3- धर्म एवं राष्ट्रीयता.....

4- (क) निवास स्थान- ग्राम/शहर.....डाकघर.....

थाना..... जिला.....

(ख) वर्त्तमान निवास स्थान- ग्राम/शहर.....डाकघर.....

5- स्थापना के नाम सहित, वर्त्तमान या अन्तिम नियोजन.....

6- सेवा आरम्भ की तिथि .....

7- सेवा समाप्ति की तिथि.....

8- कुल सेवा-काल, जिसमें व्यवधान की अवधि भी शामिल है,

वर्ष..... महीना..... दिन.....

(क) व्यवधान की अवधि..... से..... तक

9- आवेदित पेंशन और उपादान की श्रेणी तथा आवेदन का कारण.....

10- उठाया गया अन्तिम वेतन.....

11- (औसत) परिलब्धियाँ .....

12- पेंशन आरम्भ होने की तिथि .....

13- प्रस्तावित परिवार पेंशन.....

(क) बढ़ी हुई दर पर.....

जिस तिथि तक भुगतेय हो.....

(ख) साधारण दर पर.....

जिस तिथि से भुगतेय हो.....

(ग) प्रस्तावित मृत्यु-सह-सेवा निवृति उपदान.....

14- सरकारी कोषागार या उप-कोषागार का नाम जहाँ से भुगतान लेना हो.....

15- आवेदक का नाम (परिवार पेंच्चन की दच्चा में).....

16- मृत सरकारी सेवक के साथ रिश्ता.....

17- (क) बढ़ी हुई दर पर .....

(ख) क्या आवेदक/आवेदकों मृत्यु-सह-निर्वत्ति-उपदान के लिये नामित व्यक्ति/नामित व्यक्तियों है/हैं ? (नाम निर्देशन की दशा में)

(ग) नाम निर्देशन के अभाव में वित्त विभाग के संकल्प सं0-एफ0बी0पी0ए0आर0-12/50-1254 वि0, दिनांक 23 अगस्त, 1950 की कंडिका-5 के अनुसार परिवार पेंशन के लिए आवेदक किस कोटि में आता है ?

18- ईसवी सन् के अनुसार आवेदक का जन्म की तिथि.....

19- ऊँचाई.....

20-चिन्ह.....

(अंगूठे और ऊँगलियों का निशान (बाँया हाथ) सेवा निवृत्त सेवक के निरक्षर होने की दशा में।)

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका

21- पेंशन या उपदान और मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति/उपदान/परिवार पेंशन के लिए आवेदक ने जिस तिथि को आवेदन किया : .....

22-बाध्यकर्क पेंशन के मामले में पेंशनर के पेंशन की कितनी प्रतिशत का रूपान्तरण चाहते हैं (प्रतिशत के रूप में अक्षरतः 10%, 30%, 40%)(अधिकतम प्रतिशत 40%)

23-आवेदक का हस्ताक्षर.....

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर

.....

विभागाध्यक्ष

- यदि आवेदन क्षतिपूर्ति पेंशन या उपदान के लिए किया गया हो, तो स्थापना के संबंध में हुए परिवर्तन का पूरा ब्योरा दें, जिसकी वजह से दावा किया गया हो।
- यदि स्थापना परिवर्तन ठीक-ठीक मालूम न हो तो सर्वोत्तम जानकारी या अनुमान के आधार पर इसका उल्लेख करें।
- नोट : राजपत्रित सरकारी सेवकों और अन्य पेंशनभोगियों को दच्चा में जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप में छूट दी जा सके, अंगूठे या ऊँगलियों का निशान तथा ऊँचाई एवं व्यक्तिक निशान अपेक्षित नही है।

1- निलम्बन या पदच्युति का स्पष्टीकरण.....

2- आवेदक द्वारा प्राप्त किसी प्रकार के उपदान या पेंशन के संबंध में (देखें बिहार पेंशन नियमावली का अध्याय VII).....

3- अन्य अभ्युक्तियॉं .....

4- कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष.....

के विचार का उल्लेख करें कि क्या सेवा का दावा पोक्ता है और क्या इसे माना जा सकता है या नहीं ?

[देखें बिहार पेंशन नियमावली के नियम 194(ii) और 194(क) (ii)]

कार्यालय प्रधान/विभागायक्ष का हस्ताक्षर

मंजूरी प्राधिकारी की अनुशंसा.....

मंजूरी प्राधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम.....

सी0पी0आर0 (राज्य)

दिनांक .....

महालेखाकार का प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि (नीचे दी गई अभ्युक्तियों के अध्याधीन) श्री .. .. की अर्हक सेवा ..... वर्ष .....महीना .....दिन सम्यक् रूप से प्रमाणित कोटि में है तथा बिहार पेंशन नियमावली .....और बिहार सरकार के वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 5285 वि0, दिनांक 26.04.51 की कंडिका 2 (ग) तथा बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प सं0 वि0वी0पी0ए0आर0 12/50, 12548-वि0, दिनांक 23 अगस्त, 1950 के अधीन अधिक-से-अधिक.....रू0 प्रतिमाह तथा .....रू0 (एक मुश्त्) पेंशन/सेवा-उपदान/परिवार पेंशन और मृत्यु-सह-सेवा-निवत्ति-उपदान के रूप में अनुमान्य है। गणना का सत्यापन समयक् रूप से किया गया है। पेंशन या उपदान .....पर आदेय है और पेंशन दिनांक.....20 से आरंभ होगी।

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 और 202 (1) के ओर यानाकृष्ट किया जाता है। चूँकि आवेदन सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद किया गया है, इसलिए पेंशन आवेदन की तिथि से.....या सेवा निवृत्ति की तिथि.....से आरंभ होगी, जैसा कि मंजूरी प्राधिकारी बिहार पेंशन नियमावली 209 के अधीन निर्देश दें

(यदि आवश्यक न हो, तो इस कंडिका को काट दें।)

महालेखाकार

जो पदाधिकारी बिहार पेंशन नियमावली के नियम 147 के द्वारा प्राधिकृत अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं, उनके मामले में प्रमाण-पत्र के सामान्य फार्म में निम्नलिखित बातें जोड़ दें :-

उन्होंने तीन वर्षो/.....वर्षो तक.....के रूप में सेवा की है और वे 1000/-रू0/1500/-रू0.....के विशेष अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं। उनकी सेवा ऐसी रही है कि उनके मामले में ऐसी रिआयत की जा सकती है।

नोट :- यदि पेंशन प्रदायी सेवा अधिकतम पेंशन के लिए पर्याप्त हो, तो प्रमाण-पत्र पर.....वर्षो से अधिक के लिए सम्यक रूप से प्रमाणित लिख दें (उतना ही वर्ष अंकित करें जितना अधिकतम पेंशन पाने के लिए अपेक्षित है।)

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 204 (क) के अधीन घोषणा

(औपबंधिक पेंशन हेतु)

चूँकि * .....(अग्रिम की स्वीकृति देने वाले सरकारी सेवक का पदनाम) ने मेरी पेंशन की रकम सरकार द्वारा नियत करने हेतु आवश्यक जाँच पूरी होने की प्रत्याशा में मुझे औपबन्धिक रूप से प्रतिमाह.....रू0 की राशि की स्वीकृति दी है। मैं एतद्-द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि इस अग्रिम को स्वीकार करते हुए मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरी पेंशन आवश्यक औपचारिक जाँच पूरी होने पर पुनरीक्षित हो सकती हे तथा यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षिण पर मैं इस आधार पर कोई आपत्ति नही करूँगा कि मुझे अभी दी जाने वाली औपबंधिक पेंशन उस राशि से अधिक है, जिसका हकदार मैं अन्ततः पा जाऊँ। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस पेंशन का हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ, अधिक राशि लौटा दूँगा।

सेवा-निवृत्ति सरकार सेवक का हस्ताक्षर

पदनाम एवं विभाग/कार्यालय

*यहाँ अग्रिम स्वीकार करने वाले सरकारी सेवक के पदनाम का उल्लेख करें।

(यह घोषणा किसी राजपत्रित/सरकारी सेवक द्वारा अभिप्रमाणित होनी चाहिए।)

प्रपत्र

(पेंशन मंजूरी हेतु)

(देखें वित्त विभाग के ज्ञाप सं0-642, दिनांक 14 जनवरी, 1964)

अद्योहस्ताक्षरी अपना यह समाधान कर लेने के बाद की श्री/श्रीमती/कुमारी .... की सेवा पूर्णतः संतोषजनक रही है, एतद् द्वारा पूरी पेंशन और/या उपदान की मंजूरी का आदेश देता है, जिसे नियम के अधीन महालेखाकार द्वारा स्वीकृति दी जा सकेगी ओर अनुमान्य होगी। इस पेंशन और/या उपदान की की मंजूरी दिनांक .....से आरंभ होगी।

पेंशन और/या उपदान..... कोषागार में भुगतेय तथा "1071-पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ" शीर्ष के अधीन आदेय होगा।

यह आदेश इस शर्त्त के अयाधीन है कि यदि पेंशन और/या उपदान की रकम, जैसा कि महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, बाद में उस रकम से अधिक पायी जाए, जिसका नियम के अधीन पेंशनभोगी हकदार हों, तो वह पेंशनधारी अधिक राशि लौटाने के लिए बाध्य होगा/होगी।

इस शर्त्त को माननेवाले पदाधिकारी से घोषणा प्राप्त कर ली गई है और संलग्न की गई है। इस शर्त्त को माननेवाले पदाधिकारी से घोषणा प्राप्त कर ली जायेगी और अलग से प्रस्तुत की जाएगी।

पेंशन मंजूर करनेवाले प्राधिकारी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम

प्रमाण-पत्र

(देखें वित्त विभाग का पत्रांक पी0आई0-1013-6654 वि0, दिनांक 30 मई, 1951)

यदि वेतन एवं भत्ते के अधिक भुगतान के कारण कोई बकाया हो अथवा वेतन, दौरा संबंधी यात्रा-भत्ता या स्थानान्तरण हेतु यात्रा से संबंधित अग्रिम का बकाया हो अथवा मोटरकार या साईकिल, गृह निर्माण अग्रिम अथवा आवास-किराया संबंधी या कोई अन्य बकाया हो जिसकी वसूली मुझसे करनी हो, उसका भुगतान करने के लिए मैं बाध्य होऊँगा।

सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक/
मृत सरकारी सेवक के लाभार्थी
का हस्ताक्षर

पदनाम एवं विभाग/कार्यालय

प्रमाण-पत्र

(बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-193 के अधीन)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि अपनी सेवा के किसी भाग के संबंध में, जो इस आवेदन-पत्र में सम्मिलित है तथा जिसके संबंध में पेंशन और उपदान का दावा इसमें किया गया है, मैंने किसी पेंशन या उपदान के लिए न तो आवेदन किया हूँ तथा इस आवेदन-पत्र और इस पर दिए गए आदेश का हवाला दिए बिना इसके बाद आवेदन नही करूँगा।

सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक का हस्ताक्षर
पदनाम एवं विभाग/कार्यालय

(इस घोषणा को किसी राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा अभिप्रमाणित कराया जाय)

फोटोग्राफ

नोटः- (i) सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक की दशा में संयुक्त फोटो।

(ii) मृत सरकारी सेवक की दशा में लाभार्थी का फोटो।

सरकारी सेवक (मृत सरकारी सेवक के लाभार्थी) के हस्ताक्षर के तीन नमूने

1.

2.

3.

(राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराया जाय)

पेंशन और परिवार पेंशन की गणना-तालिका

(वित्त विभाग के संकल्प सं0 पी0सी0-01/99-11556, दिनांक 22-12-1999 के अनुसार)

1- सेवा-निवृत्त/मृत सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम.....
.....

2- सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि.....

3- सेवा-निवृत्ति/मृत्यु की तिथि.....

4- सेवा की कुल अवधि वर्ष..... माह..... दिन.....

5- उठाया गया अंतिम वेतन .....

6- औसत परिलब्धियाँ .....

7- अनुमान्य पेंशन (यहाँ औसत परिलब्धि .....
का 50% **X** सेवा अवधि ÷ 33 के नियमानुसार पेंशन की गणना करें)

8- पेंशन का 90% .....

9- वह अवधि जिसके लिए पेंशन का.....90% मंजूर किया गया हो

10- अनुमान्य परिवार पेंशन.....
(यहाँ परिवार पेंशन की गणना नियमानुसार करें)

(सरकारी सेवक द्वारा उठाये गए अंतिम वेतन का
30% साधारण दर पर)

वर्द्धित दर पर

कार्यालय प्रधान/पेंशन मंजूर करने वाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-उपदान की गणना

(देखें वित्त विभागी की संकल्प सं0 पी0सी0-01/99-11556 दिनांक 22.12.1999 के अनुसार)

1- सेवा निवृत्त/मृत सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम .....

.....

2- सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि .....

3- सेवा-निवृत्ति/मृत्यु की तिथि .....

4- सेवा की कुल अवधि .....

5- निकासी किया गया अन्तिम वेतन .....

6- (क) नियमानुसार अनुमान्य सेवा-निवृत्ति-उपदान.....

(निकासी किया गया अंतिम वेतन + अनुमान्य महँगाई भत्ता **X** छह माह की सेवा): 4

(ख) मृत्यु उपदान :-

(i) एक वर्ष से कम - परिलब्धियॉं का दुगुना

(ii) एक वर्ष या अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम - पिरलब्धियॉं का छह गुना

(iii) 5 वर्ष या अधिक लेकिन 20 वष्र से कम - परिलब्धियॉं का बारह गुना

(iV) 20 वर्ष या अधिक:

(<u>निकासी किया गया अंतिम वेतन + अनुमान्य महँगाई भत्ता **X** छह माह की सेवा</u>)

2

(यह निकासी की गई अंतिम परिलब्धियॉं के 53 गुना से अधिक नही होगा। मृत्यु-उपदान किसी भी दशा में 3.50 लाख रू0 से अधिक नही होगा)

कार्यालय प्रधान/पेंशन मंजूर करने वाले

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पेंशन रूपान्तरण हेतु आवेदन-पत्र

(वित्त विभाग के संकल्प सं0-3378, दिनांक 29-7-2002 के अनुसार)

1- सरकारी सेवक का नाम (बड़े अक्षरों में) .....

2- पिता/पति का नाम.....

3- पदनाम.....

4- कार्यालय का नाम ..... विभाग.....

5- जन्म-तिथि .....

6- सेवा-निवृत्ति की तिथि .....

7- रूपान्तरित की जानेवाली प्रस्तावित आंशिक पेंशन..... स्वीकृत पेंशन के 40% तक

8- कोषागार/उप-कोषागार ..... जहाँ से पेंशन की निकासी की जाती है।

9- पत्राचार का पता .....

दिनांक ..... सेवा-निवृत्त-सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

नाम मनोनयन का प्रपत्र

पेंशन रूपान्तरण हेतु नाम निर्देशन

मैं ..... (पेंशनभोगी का नाम बड़े अक्षरों में) एतद् द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को वित्त विभाग की संकल्प सं0 .....के अनुसार अपनी मृत्यु की स्थिति में रूपान्तरित पेंशन प्राप्त करने के लिए नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

नामित व्यक्ति का नाम एवं पता	सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक से संबंध	यदि नामित व्यक्ति नावालिग हो		
		जन्म-तिथि	उस व्यक्ति का नाम एवं पता जो नामित व्यक्ति की नवालिगी के दौरान उक्त रूपान्तरित पेंशन प्राप्त करें	व्यक्ति के साथ संबंध
1	2	3	4	5

दिनांक .....

स्थान ..... हस्ताक्षर (अथवा अंगूठे का निशान)

पता.....

गवाह का हस्ताक्षर ..... कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर

नाम एवं पता ..... मुहर

स्वीकृत्यादेश

स्वास्थ्य परीक्षा वगैर श्री/श्रीमति..... की रूपान्तरित पेंशन की रशि Rs. ……... (शब्दों में.....रूपये) की रूपान्तरित मूल्य Rs. ……... (शब्दों में.....रूपये) की भूगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर

(कार्यालय मुहर)

आवेदन-पत्र का प्रपत्र

(परिवार पेंशन)

स्व0 श्री/श्रीमती .....के
परिवार के लिए परिवार पेंशन हेतु आवेदन-पत्र

पदनाम .....

कार्यालय/विभाग में.....

1- आवेदक का नाम .....

2- मृत सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के साथ संबंध .....

3- सेवा-निवृत्ति की तिथि ..... यदि मृत पेंशनभोगी था।

4- सरकारी सेवक/पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि .....

5- मृतक के संबंधी का नाम एवं आयु .....

नाम ..... जन्म-तिथि.....

(ईसवी सन्.....)

विधुर/विधवा .....

पुत्र .....

अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा/पुत्री

- पिता
- माता

6- कोषागार/उप-कोषागार का नाम .....
जहाँ से भुगतान चाहते हों।

7- हस्ताक्षर/बायें अंगूठे का निशान .....
(उनकी दशा में जो अपना नाम नही लिख सकते हों)

*यदि विधवा/पुत्र एवं पुत्री जीवित न हों और उनकी आय प्रतिमाह 1550 रू0 से अधिक न हो।

8- .....की विधवा/विधुर/बच्चे के अभिभावक
.....का विवरण।

(i) जन्म-तिथि (सन् ईसवी)

(ii) ऊँचाई

(iii) हाँथ/चेहरे पर व्यक्तिगत निशान, यदि कोई न हो.....

(iv) बायें हाथ के अंगूठे एवं ऊँगली का निशान

<u>कनिष्ठिका</u> <u>अनामिका</u> <u>मध्यमा</u> <u>तर्जनी</u> <u>अंगूठा</u>

9- आवेदक का पूरा पता .....

द्वारा अभिप्रमाणित गवाह

1- ..... 1. .....

2- ..... 2. .....

नोटः- परिवार पेंशन हेतु आवेदन-पत्र के साथ पूरा विवरण (स्तम्भ 8) तथा हस्ताक्षर अथवा बायें हाथ का अँगूठा और ऊँगली का निशान दो प्रतियों में होना चाहिए (दो अलग-अलग पृष्ठों में तथा आवेदक जिस शहर, गाँव, परगना में रहता हो, वहाँ के दो राजपत्रित पदाधिकारी अथवा सम्मानित व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।

सेवा-निवृत्त/मृत-सरकारी-सेवक के परिवार के सदस्यों का विवरण

क्रम सं0	नाम	सम्बन्ध	जन्म-तिथि	विवाहित या अविवाहित (केवल बेटी की दशा में)
1	2	3	4	5

अभिप्रमाणित करने वाले पदाधिकारी

.....

.....

सरकारी सेवक/मृत सरकारी सेवक के लाभार्थी
का हस्ताक्षर/बायें अंगूठे का निशान

(इसे राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा अभिप्रमाणित कराया जाय)

प्रपत्र

(डी0सी0आर0 उपदान की मंजूरी के लिए)

वित्त विभाग के ज्ञाप सं0-642, दिनांक 14 जनवरी, 1964

(क) अद्योहस्ताक्षरी अपना यह समाधान कर लेने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी ... ... की सेवा पूर्णतः संतोषजनक रही है, एतद द्वारा नियम के अधीन अनुमान्य मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्ट उपदान नीचे खंड
(ख) में उल्लिखित व्यक्ति को मंजूर करने की आदेश देता है, जिसकी स्वीकृति महालेखाकार द्वारा दी जा सकेगी।

व्यक्ति	पता	मृत सरकारी सेवक के साथ संबंध	मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति उपदान में भागेदारी की राशि

2 यह आदेश इस शर्त्त के अयाधीन है कि यदि उपदान की राशि, जैसा कि महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत की गई हो, बाद में उस राशि से अधिक पायी जाए, जिसका संबंध व्यक्ति नियम के अधीन हकदार है, तो ऐसी अधिक राशि लौटाने के लिए वह बाय होगा/होगी।

शर्त्त मानने वाले व्यक्ति से घोषणा-पत्र प्राप्त की जाएगी और उसे अलग से प्रस्तुत की जाएगी।

मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति उपदान/अवशिष्ट उपदान...
कोषागार में भुगतेय और "2071 पेंशन" शीर्ष के अधीन आदेय होगा।

तिथि ....

मंजूरी प्रदान करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम

नोटः- अवशिष्ट उपदान की दच्चा में मृत पदाधिकारी की सेवा की पहले ही जाँच हो चुकी है और उपर खण्ड (क) में दी गई अभिव्यक्ति ....
"समाधान कर लेने के पच्च्चात संतोषप्रद" का प्रयोग नही किया जायगा।

परिवार पेंशन की मंजूरी हेतु प्रपत्र

1- सरकारी सेवक का नाम .....

2- पिता/पति का नाम .....

3- धर्म .....

4- स्थापना के नाम सहित धारित अन्तिम पद .....

5- सेवा आरंभ की तिथि .....

6- सेवा समाप्ति की तिथि .....

7- धारित वास्तविक पद .....

8- पसन्द किए गए/उपयुक्त पेंशन नियम .....

9- मृत्यु पूर्व लगातार सेवा की अवधि .....

10- निकासी किया गया अन्तिम वेतन .....

11-अनुमान्य परिवार पेंशन की राशि .....

(प) प्रथम सात वर्षो के लिए .....

(पप) सात वर्षो के बाद .....

12- पेंशन आरंभ होने की तिथि .....

13- भुगतान का स्थान, कोषागार/उप-कोषागार .....

अधोहस्ताक्षरी स्व0 श्री/श्रीमती .....
के उपर्युक्त बयोरे से संतुष्ट हो लेने के पश्चात् एतद द्वारा प्रतिमाह प्रथम सात वर्षो के लिए और तत्पश्चात् प्रतिमाह .....की दर से .....रू0 की परिवार पेंशन श्री/श्रीमती .....को मंजूर करने का आदेश देता हूँ, जिसकी स्वीकृति संपरीक्षण, कार्यालय द्वारा नियम के अधीन, जैसा की अनुमान्य हो, दी जायगी।

मंजूर करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर
एवं नाम

अनुसूची 53-प्रपत्र सं 195 (परिशिष्ट जेड0एस0आर0)

अराजपत्रित सरकारी सेवकों के अंतिम वेतन-प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

श्री ..... का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र.....का पद ग्रहण करने के लिए ..... के रूप में स्थानापत्र रूप से काम करने के लिए ..... का कर्त्तव्य-ग्रहण करने जा रहे हैं।

इन्होंने तारीख .....20 .....तक .....के रूप में प्रतिमाह .....रू0 की दर से वेतन और .....के रूप में प्रतिमाह .....रू0 की दर से कार्यकारी भत्ता लिया है, इससे की गई कटौतियाँ नीचे दिखाई गई है।

इन्होंने ता0 .....20 .....के पूर्वाहन/अपराहन में अपना कार्यभार सौंप दिया। इस पदाधिकारी के वेतन में कोई भी वसूली नही* / पीठ पर लिखी वसूली करनी है।

2. चालू वर्ष के आरंभ से आज तक इनके वेतन से वसूले गये आयकर का ब्योरा पीठ पर दिया गया है।

स्थान .....
ता0 .....

जिस कार्यालय में पिछली बार इनके वेतन की निकासी हुई उस कार्यालय के प्रधान का नाम और पदनाम।

---

*अनेपेक्षित शब्द के नाम से काट दें।

इसे वह कार्यालय भरेगा जिस कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ है।

श्री/श्रीमती .....वे इस कार्यालय में तारीख .....20.....के पूर्वाहन/अपराहन में अपना कार्यभार ग्रहण किया और मेरे कार्यालय में से जिस पद पर आये हैं, उसका वेतन .....रू0 है।

स्थान .....
.....

जिस कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ है उस ता0 कार्यालय के प्रधान का नाम और पदनाम।

टिप्पणी :- 1. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र इस प्रथम बिल के साथ अवश्य अनुलग्न रहे जिसमें स्थानान्तरित व्यक्ति का नाम रहे।

2.अराजपत्रित सरकारी सेवकों का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र उस कार्यालय का प्रधान देगा जिस कार्यालय को अराजपत्रित सरकार सेवक छोड़ रहा हो, ताकि कोषागार पदाधिकारी और जब पदाधिकारी किसी दूसरे प्रेसीडेन्सी या राज्य में स्थानान्तरित किया जाए तब ऐसे अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र महालेखाकार के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। यदि वह पदाधिकारी सार्वजनिक सुविधा से भिन्न कारणों से स्थानान्तरित किया जा रहा हो, तो यह बात लिख दिया जाय।